


11.07.2024:-पत्रावली पेशी में ली आई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में कोई आवश्यक
कार्यवाही नहीं हो रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को
बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने
के कारण प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

